पैट योजना:

यह बाजार आधारित प्रणाली है जिसमें उर्जा दक्षता को सुधार कर, लागत को बढ़ावा दिया जाता है। नामित उपभोक्ताओं में यह कारोबार ई-सर्ट (उर्जा बचत प्रमाणपत्र) के रूप से किया जा सकता है। पैट योजना के लिए देश भर में उर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एक कार्यान्वयन संस्था है।

पैट योजना-1 के अंतर्गत, देश भर के आठ क्षेत्रों में 478 औद्योगिक इकाइयां हैं। यह क्षेत्र हैं- सीमेंट उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, उर्वरक उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, लौह और स्पात उद्योग, क्लोर अलकली, लुगदी एवं कागज और वस्त्र- जिन्हें ऊर्जा के खपत को कम करने का लक्ष्य दिया जाएगा। जो उद्योग अपने लक्ष्य बेहतर से प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र ई-सर्ट मिलेंगे और इन्हें विफल रहने वाले उद्योगों को यह प्रमाण पत्र बेचने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित लक्ष्य से 1 एमटीओई की बचत एक उर्जा प्रमाण पत्र के बराबर है । देश में इन आठ क्षेत्रों से बिजली की कुल 60% तक व्यापार उर्जा एक्सचेंज और भारतीय उर्जा एक्सचेंज द्वारा किया जायेगा। इस प्रक्रिया को हासिल करने के लिए उर्जा शमता ब्यूरो द्वारा कुछ सरलीकरण की आवश्यकता हो सकती है ।

पैट पूरी तरह से एक राष्ट्रीय योजना है जिसका लक्ष्य उर्जा गहन उद्योग में उर्जा दक्षता को बढ़ाना/ भारत में इसका प्रतिष्ठान का निर्माण। सीडीएम या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय योजना के उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने का कोई सम्बंध नहीं है। विशिष्ट पैट चक्र ऊर्जा खपत में कमी के लक्ष्य में किसी भी तरह का कोई अंतरराष्ट्रीय बंधन नहीं बनता और ना कोई संबंध रखता है उसके साथ।

इस योजना में निम्नलिखित चीजे हैं :

1. प्रत्येक नामित उपभोक्ता के लिए अपनी विशिष्ट उर्जा खपत को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिसे उसे चक्र के ख़त्म होने तक प्राप्त करना होता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14 के तहत विशिष्ट उर्जा खपत की इकाई को निर्धारित किया गया।
2. नामित उपभोक्ताओं के बिच ऊर्जा संरक्षण प्रमाण पत्र (ई-सर्ट) के व्यापार को बढ़ावा देना, जो अपने लक्ष्य विशिष्ट उर्जा खपत के न्यूनतम लक्ष्य को पार कर जाते हैं तथा जो नहीं कर पाते इसको निर्धारित करने के लिए नियामक ढांचे, जाँच और सत्यापन, और प्रोटोकॉल निर्धारित किये गये हैं।
3. प्रस्तावित जैसे -अक्षय उर्जा उपकरणों के साथ ई-प्रमाणपत्र की सुगमता ऊर्जा प्रमाण पत्र (सु .ऊ प्रमाण पत्र) को एमएनआरई द्वारा औपचारिक रूप से बाजार के उचित रूपांतरण कारकों के साथ दिया जा रहा है ।
4. गैर-अनुपालन की संभावना को कम करने के लिए उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना।

पैट चक्र के कारण 9.78 एमएमटीओई और 26.21 एमएमटी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बचत

होगी, जिसके परिणाम स्वरूप 5263 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि की जरुरत नहीं होगी । इस के कार्यान्वयन के पहले 3 साल से उद्योग क्षेत्र में लगभग 30.000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।

नामित उपभोक्ता के लिए पैट योजना के अंतर्गत, उर्जा संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताएं:

भारत सरकार के उर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, में उर्जा संरक्षण अधिनियम का संदर्भित किया गया है, जो कुशल ऊर्जा के लिए भारत में इसके संरक्षण और उपयोग के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान को सुनिश्चित करने तथा उपायों को अपनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का गठन किया है। 8 ऊर्जा गहन क्षेत्रों के संगठन का नामित उपभोक्ताओं के रूप में पहचान की गयी है। इन नामित उपभोक्ताओं के लिए उर्जा दक्षता ब्यूरो अधिनियम गठन करता है।

1. ऊर्जा की खपत की जानकारी का प्रतिवेदन उर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) तथा राज्य की नामित संस्था को देना।
2. ऊर्जा प्रबंधक को नियुक्त करना होगा जो की नामित उपभोक्ताओं का उर्जा तथा बीईई और राज्य कि संस्थाओं को वार्षिक ऊर्जा खपत का प्रतिवेदन जमा करे।
3. अधिनियम की धारा 14 (जी) के तहत निर्धारित ऊर्जा संरक्षण मानदंडों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. विशिष्ठ उर्जा खपत का लक्ष्य पूरा होने पर 14 (जी) के अनुसार उर्जा संरक्षण प्रमाण पत्र (ई-सर्ट) खरीदना। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसको सक्षम करने के लिए नए उप-धारा 14 ए को लागु किया गया है इसकी धारा 14 ए(2) व्यापार की अनुमति देता है ।
5. उर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नियुक्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा उर्जा खपत का सत्यापन जो कि सरकार / बीईई अनुभाग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा अधिनियम 14ए /13 (पी) के अनतर्गत ।
6. लक्ष्य निर्धारण की अतिरिक्त उपलब्धि के लिए ई प्रमाणपत्र जारी करवाना होगा(धारा 14 ए (1) के अंतर्गत)।
7. एक नया अनुभाग (26 (1 ए) जोड़ा गया है जिसमे गैर अनुपालन ना करने की स्थिति में रु 10 लाख का दंड होगा और तेल के उर्जा लक्ष्य के खपत के बराबर जिसमे बाजार मूल्य से कच्चे तेल का मूल्य टन के बराबर मापा जायेगा धरा 26(1 ए) के अंतर्गत।

उर्जा दक्षता ब्यूरो को पूर्ण रूप से नियामक के लिए और इनर्जी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को विवाद समाधान संस्था के रूप में निर्धारित किया गया।